भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2983
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायिक बुनियादी ढ़ांचे का सुदृढ़ीकरण

2983 # श्री नवीन जैन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्र प्रायोजित योजना (एसएनए-स्पर्श) के अंतर्गत न्यायालय भवनों, अतिरिक्त अदालत कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के आवास, ई-कोर्ट, डिजिटल अवसंरचना तथा न्यायिक कर्मचारियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कोई व्यापक कार्ययोजना लागू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार न्यायिक सुधारों के अंतर्गत समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने, लंबित मुकदमों में उल्लेखनीय कमी लाने तथा भविष्य में जनसंख्या वृद्धि एवं मुकदमों की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए न्यायिक क्षमता में वृद्धि के लिए कोई राष्ट्रीय नीति अथवा दीर्घकालिक रोडमैप तैयार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अधीन पांच घटक जैसे न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकीलों का हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सम्मिलित हैं ।

निधि जारी करने के एसएएनए-एसपीएआरएसएच मॉडल के अधीन, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को मूल मंजूरी जारी की जाती है और वे सीएसएस स्कीम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मूल मंजूरी की सीमा के भीतर पहचान की गई परियोजनाओं पर खर्च कर सकते हैं। उपरोक्त सीएसएस के अधीन केंद्रीय सहायता के रूप में स्कीम की शुरुआत के बाद से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 12,858.25 करोड़ रुपये (30.06.2026 तक) की धनराशि प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, सीएसएस के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 401.5 करोड़ रुपये की मूल मंजूरी जारी की गई है। 30.06.2026 तक, 30,825 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के समक्ष न्यायिक अधिकारियों के लिए 22,639 न्यायालय हॉल और 21,495 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना, नई आपराधिक विधि 2023 का अधिनियमन और कार्यान्वयन और त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना सम्मिलित है।

ई- न्यायालय परियोजनाओं (2023-2027) का चरण- 3, जिसे 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई, संस्थाओं में पारस्परिकता और न्यायिक क्षमता के विस्तार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज रहित न्यायालयों की ओर परिवर्तन की कल्पना करता है। ई- न्यायालय परियोजनाओं के अधीन, विभिन्न पहल की गई हैं, जिनमें मामलों की ई-फाइलिंग, न्यायालय फीस/जुर्माने का ई-भुगतान, बेहतर मामला प्रबंधन के लिए मामला सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय सेवा और समन/ न्यायालय सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस सिस्टम की ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, न्यायालय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, न्यायिक कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए जस्टआईएस ऐप, नागरिकों के लिए ई-सेवा केंद्र की स्थापना और न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा सुविधा की स्थापना सम्मिलित हैं। । इसके अतिरिक्त, वादकारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर न्यायालय के आदेशों/निर्णयों और सभी न्यायालयों के मामलों के अन्य ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं।
